न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री राजेश सुवालका (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या :–51/2019 (2019/00008) दर्ज दिनांक 06.05.2019

अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. रूपकंवर पत्नि स्व0 गोपालसिंह राव
2. माया पुत्री स्व0 गोपालसिंह राव
   सर्व निवासी ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीयागण

बनाम

1. मोहनसिंह आत्मज सरदारसिंह राव
2. नाहरसिंह आत्मज सरदारसिंह राव
   सर्व निवासी ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. ग्राम सेवा सहकारी समिति ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा बजरिये व्यवस्थापक
4. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंगापुर तहसील राहाड़ा जिला भीलवाड़ा बजरिये शाखा प्रबंधक
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा

––प्रतिवादीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता वादीगणः–श्रीमती सज्जन बैरवा
पेरोकार सरकार

:: कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. ::

:: निर्णय ::

दिनांक 31.08.2021

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीयागण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 21.08.2020 को प्र0सं0 51/2019 प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम ढोसर पटवार हल्का ढोरार तहसील राहाड़ा मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत दो के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 240 में अंकित आराजी संख्या 1319 रकबा 0.36हे0, 1322 रकबा 0.30 हे0, 1324 रकबा 0.13 हे0, 1325 रकबा 0.03 हे0 गै0मु0 चाह, 1326 रकबा 0.40 हे0, 1328 रकबा 0.43 हे0, 1334 रकबा 0.03 हे0, 1335 रकबा 0.17 हे0, 1350 रकबा 0. 73 हे0, 1355 रकबा 1.16 हे0 कुल किता 10 कुल रकबा 3.74 हे0 भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/पीडी/2019/270 दिनांक 27.08.2021 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया ।

ग्राम ढोरार पटवार हल्का ढोसर तहसील राहाड़ा मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत दो के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्वत 2070 से 2073 खाता संख्या 240 में अंकित आराजी संख्या 1319 [illegible] 0.36हे0, [illegible] 0.30 हे0, 1324 रकबा 0.13 हे0, 1325 रकबा 0.03 हे0 गै0मु0 चाह, 1326 [illegible] 1328 रकबा 0.43 हे0, 1334 रकबा 0.03 हे0, 1335 रकबा 0.1[illegible] 1355 रकबा 1.16 हे0 कुल किता 10 कुल रकबा 3.74 हे0 भूमि[illegible]सीलदार द्वारा निम्नानु[illegible] संयुक्त प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिवक्ता व[illegible]ागण द्वारा स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.09.13 17:31:07 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादीयागण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :–51/2019 (2019/00008)
अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	रूपकंवर पत्नी स्व0 गोपालसिंह 1/2 माया पुत्री गोपालसिंह 1/2 जाति राव सा0 देह खातेदार रहन जी0एस0एस0एस0 लि0 ढोसर	ढोसर (खाता संख्या 240)	1319/1	0.1200
			1322/1	0.1000
			1324	0.1300
			1328/2	0.1400
			1334/1	0.0050
			1335/1	0.0700
			1350/2	0.2500
			1355/2	0.4216
		योग	8	1.2366
2	मेहनसिंह 1/2 नाहरसिंह 1/2 पिता सरदार सिंह जाति राव सा0 ढोसर खातेदार रहन बी0आर0के0जी0बी0 शाखा गंगापुर हि0 नाहरसिंह पर जी0एस0एस0एस0 लि0 ढोसर हि0 मोहनसिंह पर	ढोसर (खाता संख्या 240)	1319/2	0.2400
			1322/2	0.2000
			1326	0.4000
			1328/1	0.2900
			1334/2	0.0250
			1335/2	0.1000
			1350/1	0.2400
			1350/3	0.2400
			1355/1	0.3692
			1355/3	0.3692
		योग	10	2.4734
3	शामलाती बदस्तूर खाता	ढोसर (खाता संख्या 240)	1325	0.0300
		योग	1	0.0300

नीज ....Nil.................................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करें।

बसब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.08.2021 को जारी किया गया

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.09.13 17:31:07 IST
Reason: SelfAttested

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री राजेश सुवालका (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या :–51/2019 (2019/00008) दर्ज दिनांक 06.05.2019

अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. रूपकंवर पत्नि स्व0 गोपालसिंह राव
2. माया पुत्री स्व0 गोपालसिंह राव
   सर्व निवासी ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीयागण

बनाम

1. मोहनसिंह आत्मज सरदारसिंह राव
2. नाहरसिंह आत्मज सरदारसिंह राव
   सर्व निवासी ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. ग्राम सेवा सहकारी समिति ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा वजरिये व्यवस्थापक
4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा वजरिये शाखा प्रबंधक
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा

––प्रतिवादीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता वादीगणः–श्रीमती सज्जन बैरवा
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 31.08.2021
डिक्री दिनांक : 31.08.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय गंगापुर बहाजरी अधिवक्ता वादी **श्रीमती सज्जन बैरवा एवं पैरोकार सरकार** हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादीयागण अन्तर्गत **धारा 53** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें।खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (है0)
1	2	3	4	5
1	रूपकंवर पत्नी स्व0 गोपालसिंह 1/2 माया पुत्री गोपालसिंह 1/2 जाति राव सा0 देह खातेदार रहन जी0एस0एस0एस0 लि0 ढोरार	ढोसर (खाता संख्या 240)	1319/1	0.1200
			1322/1	0.1000
			1324	0.1300
			1328/2	0.1400
			1334/1	0.0050
			[illegible]	0.0700
			[illegible]	0.2500
			1355/2	0.4216
		योग	8	**1.2366**
2	मेहनसिंह 1/2 नाहरसिंह 1/2 पिता सरदार सिंह जाति राव सा0 ढोसर खातेदार रहन बी0आर0के0जी0बी0 शाखा गंगापुर हि0 नाहरसिंह पर जी0एस0एस0एस0 लि0 ढोसर हि0 मोहनसिंह पर	ढोसर (खाता संख्या 240)	1319/2	0.2400
			1322/2	0.2000
			1326	0.4000
			1328/1	0.2900

सहायक कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.09.13 17:31:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

			1334 / 2	0.0250
			1335 / 2	0.1000
			1350 / 1	0.2400
			1350 / 3	0.2400
			1355 / 1	0.3692
			1355 / 3	0.3692
		योग	10	2.4734
3	शामलाती बदस्तूर खाता	ढोरार (खाता संख्या 240)	1325	0.0300
		योग	1	0.0300

नीज ....Nil.................................मुबलिग .... Nil ....बावत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बेशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.08.2021 को जारी किया गया

जिला भीलवाड़ा (राज.)

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]पुर जिला भीलवाड़ा 2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.09.13 17:31:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

: प्रारम्भिक डिक्री :-

न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक 06.05.2019

प्रकरण संख्या :-51/2019 (2019/00008)

अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. रूपकंवर पत्नि स्व0 गोपालसिंह राव
2. माया पुत्री स्व0 गोपालसिंह राव

   सर्व निवासी ढोसर तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1. मोहनसिंह आत्मज सरदारसिंह राव
2. नाहरसिंह आत्मज सरदारसिंह राव

   सर्व निवासी ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. ग्राम सेवा सहकारी समिति ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा बजरिये व्यवस्थापक
4. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा बजरिये शाखा प्रबंधक
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा
6.

--प्रतिवादीगण

उपस्थितिः- अधिवक्ता वादीगणः- श्रीमती सज्जन बैरवा

पेरोकार सरकार

:: कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. ::

:: निर्णय ::

दिनांक 21.08.2020

वादी ने अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट के वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ढोसर पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत दो के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 240 में अंकित आराजी संख्या 1319 रकबा 0.36 हे0, 1322 रकबा 0.30 हे0, 1324 रकबा 0.13 हे0, 1325 रकबा 0.03 हे0 गै0मु0 चाह, 1326 रकबा 0.40 हे0, 1328 रकबा 0.43 हे0, 1334 रकबा 0.03 हे0, 1335 रकबा 0.17 हे0, 1350 रकबा 0.73 हे0, 1355 रकबा 1.16 हे0 कुल किता 10 कुल रकबा 3.74 हे0 भूमि स्थित है। उक्त आराजियात में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा निहित है। तथा प्रतिवादी संख्या एक व दो का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक व दो मौके पर अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.09.13 17:31:07 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक व दो का उक्त राजस्व खाता आपस में सामलाती दर्ज रेकार्ड रहने से वादीगण को अपनी भूमि को उन्नत बनाने, डवलप करने, लगान का विभाजन करने,तथा कृषि कार्यो में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्णित आराजी में बाई मिट्स एवं बोण्ड्स के आधार पर विभाजन कराया जाकर वादी खाते में दर्ज अपने निहित 1/3 हिस्सेनुसार भूमि का विभाजन करवा स्वतंत्र संयुक्त राजस्व खाता रेवेन्यू रेकार्ड में खोले जाने एवं स्वतंत्र कब्जा दिलाये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमायी जावें।

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

यह कि आराजी संख्या 1325 रकबा 0.03 हे0 किस्म गै0मु0 आराजी चाह होने से काबिल विभाजन नहीं होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक व दो के हिस्सेनुसार सामलाती खाते में दर्ज रखाई जावें।

अतः सादर प्रार्थना है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादर फरमायी जावे कि वादीगण का वाद वर्णित आराजियात में 1/3 हिस्सा निहित है जिससे उसके हिस्से अनुसार स्वतंत्र कब्जा दिलाया जाकर उसका राजस्व खाता उक्त हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में अलग से दर्ज कराया जावें । आराजी संख्या 1325 रकबा 0.03 हे0 गै0मु0 आराजी चाह को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के हिस्से अनुसार सामलाती खाते में दर्ज रखाई जावें।

प्रकरण विधिवत दिनांक 06.05.2019 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन नोटिस दिये गये जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। पैरोकार सरकार उपस्थित औपचारिक पक्षकार होना अंकित कर जवाब पेश नहीं करने से जवाब देही बन्द की गई।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य हेतु वादी संख्या एक द्वारा शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल मिसल किया वादीगण अधिवक्ता द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाही जिससे साक्ष्यवादी बंद की जाकर वादपत्र में वादीगण अधिवक्ता की बहस एकपक्षीय सुनी गई अधिवक्ता वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुये चालु जमाबंदी अनुरार बाई मिटस् एण्ड बाउन्डस एवं कब्जे को ध्यान में रखते हुए वादपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर गौर किया जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम ढोसर पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत दो के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 240 में अंकित आराजी संख्या 1319 रकबा 0.36 हे0, 1322 रकबा 0.30 हे0, 1324 रकबा 0.13 हे0, 1325 रकबा 0.03 हे0 गै0मु0 चाह, 1326 रकबा 0.40 हे0, 1328 रकबा 0.43 हे0, 1334 रकबा 0.03 हे0, 1335 रकबा 0.17 हे0, 1350 रकबा 0.73 हे0, 1355 रकबा 1.16 हे0 कुल किता 10 कुल रकबा 3.74 हे0 भूमि स्थित है। उक्त आराजियात में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा निहित है। तथा प्रतिवादी संख्या एक व दो का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा निहित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो का स्वतंत्र कब्जा दिलाया जाकर उसका राजस्व खाता उक्त हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में अलग से दर्ज कराया जाना आराजी संख्या 1325 रकबा 0.03 हे0 किस्म गै0मु0 आराजी चाह होने से काबिल विभाजन नहीं होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक व दो के हिस्सेनुसार सामलाती खाते में दर्ज किया जाना उचित है अतः

–: आदेश :–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहकवादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय से जारी की जाती है कि ग्राम ढोसर पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत दो के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 240 में अंकित आराजी संख्या 1319 रकबा 0.36 हे0, 1322 रकबा 0.30 हे0, 1324 रकबा 0.13 हे0, 1325 रकबा 0.03 हे0 गै0मु0 चाह, 1326 रकबा 0.40 हे0, 1328 रकबा 0.43 हे0, 1334 रकबा 0.03 हे0, 1335 रकबा 0.17 हे0, 1350 रकबा 0.73 हे0, 1355 रकबा 1.16 हे0 कुल किता 10 कुल रकबा 3.74 हे0 भूमि स्थित है। उक्त आराजियात में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक व दो का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा निहित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो का स्व[illegible] राजस्व खाता उक्त हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में अलग से दर्ज किया जावें [illegible] संख्या 1325 रकबा 0.03 हे0 किस्म गै0मु0 आराजी चाह हो[illegible] एवं प्रतिवादीगण संख्या एक व दो के हिस्से[illegible] रखते हुए उक्तानुसार नवीन जमाबंदी अनुसार कायम करते हुये कब्जे को ध्यान में रखते हुये बाई मिटस् एण्ड बाउन्डस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शे के पेश क[illegible] डिक्री पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा को जारी हो पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव पेश होने दिनांक 12.10.2020 को पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2020 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.09.13 17:31:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

: प्राथमिक डिक्री

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला– भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली

दर्ज दिनांक 06.05.2019

प्रकरण संख्या :–51/2019 (2019/00008)

अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. रूपकंवर पत्नि स्व0 गोपालसिंह राव
2. माया पुत्री स्व0 गोपालसिंह राव

सर्व निवासी ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1. मोहनसिंह आत्मज सरदारसिंह राव
2. नाहरसिंह आत्मज सरदारसिंह राव

सर्व निवासी ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

3. ग्राम सेवा सहकारी समिति ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा बजरिये व्यवस्थापक
4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा बजरिये शाखा प्रबंधक
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा

––प्रतिवादीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता वादीगणः– श्रीमती सज्जन बैरवा

पेरोकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अदालत हाजा व बहाजरी अधिवक्ता वादी श्रीमती सज्जन बैरवा मिनजानिब मुदई व पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहकवादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय से जारी की जाती है कि ग्राम ढोसर पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत दो के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 240 में अंकित आराजी संख्या 1319 रकबा 0.36 हे0, 1322 रकबा 0.30 हे0, 1324 रकबा 0.13 हे0, 1325 रकबा 0.03 हे0 गै0मु0 चाह, 1326 रकबा 0.40 हे0, 1328 रकबा 0.43 हे0, 1334 रकबा 0.03 हे0, 1335 रकबा 0.17 हे0, 1350 रकबा 0.73 हे0, 1355 रकबा 1.16 हे0 कुल किता 10 कुल रकबा 3.74 हे0 भूमि स्थित है। उक्त आराजियात में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक व दो का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा निहित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो का स्वतंत्र कब्जा दिलाया जाकर उसका राजस्व खाता उक्त हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में अलग से दर्ज किया जावें एवं आराजी संख्या 1325 रकबा 0.03 हे0 किस्म गै0मु0 आराजी चाह होने से काबिल विभाजन नहीं होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक व दो के हिस्सेनुसार सामलाती खाते में दर्ज रखते हुए उक्तानुसार नवीन जमाबंदी अनुसार कायम करते हुये कब्जे का ध्यान में रखते हुये बा[illegible]ड बाउन्डस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शे के पेश करें।

नीज ×××× मुवलिग×××× बाबत××××खर्चा इस मुकदमा मय सूद शरह×××× की फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक×××× अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.08.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

(विकास पंचोली)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.09.13 17:31:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner